



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

h2
2/1/19

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 1989/भाद्र 8, 1911
No. 538] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 1989/BHADRA 8, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिमूलना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1989

का.आ. 679 (अ) : -राजपत्र संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आर्बटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आर्बटन) (दो सौ तीसरा संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (काय आक्ट) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, —

(क) "ऊर्जा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, —

(i) "ख" विद्युत विभाग" उपशीर्षक के अधीन प्रविष्टि 9 का खोप किया जाएगा ;

(ii) "ग. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग" उपशीर्षक के अधीन प्रविष्टि 4 के पश्चात् निर्दिष्ट प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"5. समुद्रन चूर्णों और उनके अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्यक्रम ।

6. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ।

(ख) "जल संयोजन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 34 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :

"35. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

आर.वेंकटरामन राष्ट्रपति

[क्र.सं. 74/211/89-मंत्र]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1989

S.O. 679(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and third Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, —

(a) under the heading "MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)",—

(i) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF POWER (VIDUT VIBHAG)", entry 9 shall be omitted ;

(ii) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK OORJA SROTA VIBHAG)", after entry 1, the following entries shall be added, namely :-

"5. Programmes relating to improved chulhas and research and development thereof.

6. Indian Renewable Energy Development Agency."

(b) under the heading "MINISTRY OF WATER RESOURCES (JAL SANSADHAN MANTRALAYA)", after entry 34, the following entry shall be added, namely :-

"35. National Projects Construction Corporation Limited."

R. VENKATARAMAN, President

[No. 74/2/1/89-Cab.]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.

